प्रेस विज्ञप्ति

01.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम और जालंधर सहित विभिन्न स्थानों पर मैसर्स उन्नति फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (यूएफपीएल) और मैसर्स सिग्नेचर फॉरेक्स एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसएफएएसपीएल) के व्यावसायिक परिसरों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफइएमए) 1999 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने विश्वसनीय जानकारी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि भारतीय रिजर्व बैंक से कोई वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना ही मैसर्स उन्नति फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड विदेशी मुद्रा का कारोबार कर रही है।

तलाशी के दौरान पता चला कि आरबीआई ने 30 मार्च 2022 से मैसर्स यूएफपीएल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस निरस्त होने के बावजूद, 30 मार्च 2022 से 10 नवंबर 2022 तक की अवधि के दौरान मैसर्स यूएफपीएल ने मैसर्स एसएफएएसपीएल से मिलकर विदेशी मुद्रा विनिमयन के कारोबार में लगा हुआ था और उसने निरस्त लाइसेंस के आधार पर मैसर्स एसएफएएसपीएल से 15.20 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा की खरीद दिखाई थी। इस प्रकार अर्जित विदेशी मुद्रा को बिना किसी वैध लाइसेंस के स्थानीय बाजार में विभिन्न ग्राहकों को बेचा गया।

तलाशी अभियान के दौरान 1.34 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा और 10.14 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।

****